

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक/अधीक्षक

एन०आर०एस० मेडिकल कालेज एंड हॉस्पिटल
कोलकता ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.3.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सुशीला देवी पति-तारकेश्वर प्रसाद ग्राम+पो०-भटकेसरी थाना-जलालपुर, जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 50,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार) रूपया का क्रास चेक सं०...849926
.....मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० राजधारी रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक -36/14

पटना, दिनांक -30-3-15

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

27-03-15

सं० सं० 14/एम 11-1/14
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सर सुन्दर लाल हॉस्पिटल,
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस,
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी,
वाराणसी।

पटना, दिनांक.....

विषय:— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.3.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मनसा देवी पति—रतन साह ग्राम—फरुसहा पो०—बाजुडीह महुआवा थाना—विजयीपुर, जिला—गोपालगंज हौस्पिटल नं०—33/15	कैंसर रोग	₹ 25,000/—(पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	मो० सबीर अंसारी पिता—मो० मुमताज अंसारी ग्राम—बीयर बांध पोस्ट—डुमरी शाहपुर थाना—शिवसागर जिला—रोहतास, सासाराम हौस्पिटल नं०—7116/14	कैंसर रोग	₹ 25,000/—(पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	शान्ति देवी पति—प्रदीप पंडित ग्राम—गौरे, पोस्ट—दामोदरपुर थाना—पीपरा जिला पूर्वी चम्पारण हौस्पिटल नं०—6622 15	कैंसर रोग	₹ 25,000/—(पच्चीस हजार) स्वीकृत।
4	फुलवासी देवी पति—शिवधारी पाल ग्राम—जहानाबाद पोस्ट+थाना—कुदरा जिला—भभुआ, कैमुर हौस्पिटल नं०—2573/14	कैंसर रोग	₹ 25,000/—(पच्चीस हजार) स्वीकृत।

5	जितेन्द्र राम पिता-बनारसी राम ग्राम-लौकरीया पोस्ट-सीसवा बाजार थाना-हरसीद्वी, जिला-पूर्वी चम्पारण हौस्पिटल नं०-455 / 15	हृदय रोग	₹ 91,000 /- (एकानवे हजार) स्वीकृत।
6	श्रीमती देवी पति-रामजी ठाकुर ग्राम-नौतन बलुआ पोस्ट+थाना-नौतन जिला-प० चम्पारण हौस्पिटल नं०-7450 / 14	कैंसर रोग	₹ 25,000 /- (पच्चीस हजार) स्वीकृत।
7	रूबी देवी पति-राम अवधेश राय ग्राम-बढारी पोस्ट-थाना-दावथ जिला रोहतास सासाराम हौस्पिटल नं०-2065 / 14	कैंसर रोग	दूसरी बार ₹ 25,000 /- (पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,41,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,41,000 /- (दो लाख एकतालीस हजार) रुपये का क्रास चेक सं०..... 849934..... मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डा० राजधारी रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक - 369 (M)

पटना, दिनांक - 30-3-15

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
27/03/15

सं० सं० 14/एम 11-1/14
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.3.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सोमनाथ पिता-राज कुमार मेहता ग्राम+पो०-कारीसाथ थाना-उदवन्त नगर जिला-आरा, भोजपुर सी.आर नं०-2008424960	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
2	मो० गुलजार पिता-मो. खनन ग्राम-पो०-बलीगांव थाना-बहेड़ी, जिला-दरभंगा सी.आरनं०-2015068740	मस्तिष्क रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
3	सुजय कुमार गुप्ता पिता-राम लाल प्रसाद ग्राम-अदमापुर पोस्ट-तोरनी, थाना-शिवसागर जिला रोहतास सी.आर नं०-2015059650	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
4	रामजतन साव पिता-प्रयाग साव ग्राम-चकशीवगंज पोस्ट+थाना-सूर्यगढ़ा जिला-लखीसराय सी.आर नं०-2015102106	ब्रेन ट्यूमर	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।

